

फर्द अहकाम
SDO बड़गाँव

डीटा

विपक्षी

प्रकाश

क्रमांक

पत्र 212 R.T.A.

पत्रावली संख्या

189/19

सन्

2019

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पार्टी तथा
सूचनाएं जारी की गईं

28-11-19 पत्रावली पेश हुई प्रकरण में
वादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित।
प्रकरण में तीन बार अलग अलग स्थान
में आवान लगवाई गई। उनके बावजूद
वादी अपना वादी अधिवक्ता अनुपस्थित
रहे। अतः प्रकरण अदालत में अदालत
पेशवा में खारिज किया जाता है।
पत्रावली को रद्द हुआ है।

(Mayu)
उपखण्ड अधिकारी
बड़गाँव, जिला-उदयपुर

